लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3240

10 अगस्त्र 2015 को उत्तसर के लिए

सरकारी खरीद नीति

3240. श्री पी. आर. सुन्दरम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले इस्पात संयंत्रों ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से कम से कम 20 प्रतिशत वार्षिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई सरकारी खरीद नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी खरीद नीति को अक्षरश: लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्त?र

इस्पांत और खान मंत्री **श्री नरेन्द्र् सिंह तोमर**

(क) और (ख) : जी, हां। इस्पाऔत मंत्रालय के अधीन स्टीतल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीिय इस्पामत निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) नामक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यम हैं , जो इस्पात का विनिर्माण करते हैं और वे एमएसएमई एक्ट , 2006 के तहत अधिसूचित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) आदेश , 2012 के संबंध में पब्लिक प्रोक्योारमेंट पॉलिसी का कार्यान्वीयन कर रहे हैं।

(ग) : सूक्ष्मइ, लघु और मध्यएम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार सरकार ने पब्लिक प्रोक्योारमेंट पॉलिसी को वास्तयविक रूप से क्रियान्वदयन करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जो निम्नेवत हैं:-

i. वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम (वीडीपी) का आयोजन करना।
ii. शिकायत प्रकोष्ठो और शिकायतों के निपटान हेतु वेब आधारित प्लेवटफार्म का सृजन करना।
iii. पब्लिक प्रोक्योारमेंट पॉलिसी की गैर-अनुपालना के मामले में सीपीएसई के लिए जुर्माने का प्रावधान करना।
iv. विभिन्न सीपीएसई/रेलवे बोर्ड आदि के साथ अलग-अलग बैठक करना।

*****